FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत सहा० कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़

कमरुद्दीन बनाम सरकार जरिए तहसीलदार चित्तौड़गढ़

मुकद्दमा प्रार्थना पत्र 251 A RTA नं. 63 सन् 2022 (2022/118)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/3/24	अधिवक्ता प्रार्थी एवं पेशकार सरकार उपस्थित। बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन कर बहस उभय पक्ष पर मनन किया। संक्षिप्त विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के विरुद्ध विपक्षी जरिये पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए. इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की ग्राम गिलुण्ड प०ह० गिलुण्ड मे आराजी संख्या 3300, 3312 किता 2 रकबा 2.20 हे भूमि स्थित है। प्रार्थी अपनी कृषि आराजीयात पर ग्राम गिलुण्ड की आ. नं. 3309, 3310, 3316 मे होते हुए आता जाता है। प्रार्थी अपनी भूमि हंकाई बुवाई के लिए व फसल उठाने के लिए ट्रैक्टर व अन्य साधन का उपयोग उपभोग करता है, प्रार्थी की आराजीयात मे पहुंचने के लिए स्थायी रास्ता नही होने से एवं विपक्षी की आराजीयात पर पास के खातेदार का कब्जा होने से प्रार्थी के फसल बुवाई कटाई के समय काफी दिक्कतें आती है इसलिए विपक्षी की खातेदारी से प्रार्थी को आने जाने ---- लगातार (बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)	

Scanned with AnyScanner

के लिए रास्ता दिया जाना न्याय हित मे आवश्यक है। उक्त रास्ता प्रार्थी के कृषि आराजीयात पर पहुंचने का एक मात्र एवं सबसे छोटा रास्ता है एवं अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है। उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही होने से एवं उक्त भूमि पड़ोस खातेदार के कब्जे मे होने से रास्ता अवरूद्ध कर देते है। प्रार्थी को अपनी आराजीयात मे पहुंचने के लिए रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होता है तो प्रार्थी नियमानुसार डीएलसी दर वहन करने को तैयार है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा जरिए क्रमांक/राजस्व/2023/723 दिनांक 11/12/2023 से मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रार्थी द्वारा दिनांक 08/2/2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रास्ते की मौका जांच रिपोर्ट स्पष्ट रूप से पुनः मंगवाने हेतु निवेदन करने पर मौका रिपोर्ट पुनः तलब की गई।

तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा जरिए क्रमांक/राजस्व/2024/183 दिनांक 12/3/24 से पुनः मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी की निजी खातेदारी भूमि आ.नं. 3312 तक जाने हेतु आ.नं. 3309 रकबा 0.08 हे. मे से 0.05 हे. किस्म गै.मु. रास्ता एवं आ.नं. 3310 रकबा 0.10 हे. किस्म गै.मु. पाल के ऊपर से रास्ते हेतु रकबा 0.06 हे. कुल किता 2 रकबा 0.11 हे. रास्ता चाहा गया है। वादी के ओर कोई

...... लगातार

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with AnyScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
वैकल्पिक रास्ता नही है। उक्त दोनो बिलानाम आराजीयात पर हुसैन पिता अलादीन मुसलमान निवासी गिलुण्ड का कब्जा होकर रास्ता बन्द कर रखा है। आ. नं. 3310 मे गेहूं बोकर कब्जा है। अतः रास्ता बिलानाम से 0.11 हे. के डी.एल.सी. दर 9450.00 रूपये प्रति एयर से दो गुना कुल राशि 2,07,900.00 रूपये राज्य कोष मे जमा योग्य है।	
इस प्रकार तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात पर पहुंचने हेतु उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। अतः हस्ब मौका रिपोर्ट तहसीलदार चित्तौड़गढ़ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की ग्राम गिलुण्ड प० स० गिलुण्ड स्थित आराजी संख्या 3300, 3312 कीता 2 रकबा 2.20 हे. पर आने जाने हेतु रास्ता कायम करने बाबत ग्राम गिलुण्ड की बिलानाम आ. नं. 3309 रकबा 0.08 मे से 0.05 तथा आराजी नं. 3310 रकबा 0.10 मे से 0.06 कुल 0.11 हे. भूमि को डी.एल.सी. दर की दो गुना राशि 2,07,900.00 अक्षरे दो लाख सात हजार नौ सौ रूपये राज्य कोष मे जमा कराने पर किस्म रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। प्रार्थी को आदेश दिए जाते हैं कि 2,07,900.00 रूपये राज्यकोष मे जमा कराये जाने हेतु उक्त राशि का तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के नाम का ड्राफ्ट बनवाकर प्रस्तुत करें। ---- मजमून	
(बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)	

Scanned with AnyScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	अतः तदनुसार ड्राफ्ट प्रस्तुत होने पर राज्यकोष मे जमा कराने हेतु तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को प्रेषित कर राजस्व अभिलेख मे अमल हेतु मौका रिपोर्ट के साथ प्राप्त नक्शा जिसमे प्रस्तावित रास्ता दर्शाया गया है, कि प्रति निर्णय की प्रति के साथ संलग्न प्रेषित कर लिखा जावे कि राशि 2,07,900=00 रुपए राजकोष मे जमा कराने के पश्चात प्रस्तावित रास्ते की भूमि को राजस्व रेकार्ड मे रास्ता दर्ज कर मौका रिपोर्ट के साथ प्राप्त नक्शे अनुसार रेकार्ड मे तरमीम किया जावे। निर्णय लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with AnyScanner